# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

**प्रार्थी : श्रीमती सुरजकुंवर** **विपक्षी : राज्य**

**किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम** **पत्रावली संख्या : 217/21**

| कमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 31.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प घासा में पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां मय वादीयां उपस्थित। तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादीयां द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में देवकुंवर पत्नी केसरसिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि वास्तविक नाम सुरजकुंवर पत्नी केसरसिंह है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश किया जिसमें देवकुंवर व सुरजकुंवर को एक ही महिला होना बताया हैं। रिपोर्ट अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। वादीयां द्वारा पहचान स्वरूप राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक, भामाशाह कार्ड की प्रति पेश किये जिनमें सभी में वादीयां का नाम सुरजकुंवर दर्ज हैं। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादीया को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली के अनुसार देवकुंवर व सुरजकुंवर एक ही महिला होना जाहिर आया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा पालवासकलां पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 220, 221, 476, 506, 509, 622 से 627, 629, 630, 634, 653, 657, 664, 665, 697, 698, 699, 700, 701 किता 23 रकबा 5.2042 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम देवकुंवर पत्नी केसरसिंह के बजाय देवकुंवर उर्फ सुरजकुंवर पत्नी केसरसिंह दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:11:59 IST
Reason: SelfAttested

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

## न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

## पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

### उनवान

1. श्रीमती सुजरकुंवर पत्नी केसरसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।

.....वादी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का वीरधोलिया तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

## मुकदमा न0 : 217/21 (वाद) GCMS No. – 2021/514

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा पालवासकलां पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 220, 221, 476, 506, 509, 622 से 627, 629, 630, 634, 653, 657, 664, 665, 697, 698, 699, 700, 701 किता 23 रकबा 5.2042 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम देवकुंवर पत्नी केसरसिंह के बजाय देवकुंवर उर्फ सुरजकुंवर पत्नी केसरसिंह दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:11:59 IST
Reason: SelfAttested